



बिहार विधान परिषद् सचिवालय

बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2018:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, बिहार विधान परिषद् के सभापति से परामर्श के पश्चात् बिहार विधान परिषद् सचिवालय में नियुक्त कर्मचारीवृन्द (स्टाफ) की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2018 बनाते हैं।

नियम 6 - नियुक्ति प्राधिकार - (क) सचिव के पद पर नियुक्ति सभापति के परामर्श से बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा के व्यक्तियों में से राज्यपाल करेंगे।

(ख) अन्य सभी पदों पर नियुक्तियां सभापति करेंगे:

परन्तु सभापति, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, सचिवालय के सचिव या किसी अन्य पदाधिकारी को ऐसे आदेश में यथा विनिर्दिष्ट समूह-'ग' के किसी पद पर या पदों की किसी कोटि में भर्ती करने की अपनी शक्ति सौंप सकेंगे।

नियम 17 - नियंत्रण और अनुशासन :- सचिवालय के सभी पदाधिकारी सभापति के अधीक्षण एवं नियंत्रण के अधीन रहेंगे।

नियम 18 - अनुशासनिक प्राधिकार - नियुक्ति प्राधिकार कर्मचारियों के अनुशासनिक प्राधिकार होंगे। नियुक्ति प्राधिकार अपचारी कर्मचारियों को निलंबित, उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की पहल, आरोप-पत्र निर्गत करने का आदेश दे सकेंगे या सचिवालय के ऐसा किए जाने वाले किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा ऐसा करवा सकेंगे और बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 2005 में निर्दिष्ट कोई शास्ति भी ऐसे कर्मचारी पर अधिरोपित कर या करवा सकेंगे।

नियम 22 - सेवा की अन्य शर्तें :- पदाधिकारियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले जिन अन्य विषयों के संबंध में इस नियमावली में उपबंध विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, उन विषयों के संबंध में पदाधिकारीगण राज्य सरकार के असैनिक सचिवालय की समकक्ष पंक्ति के पदाधिकारियों पर लागू नियमों, आदेशों या निदेशों द्वारा शासित होंगे। परन्तु उनमें ऐसे रूपभेद, परिवर्तन या अपवाद किए जा सकेंगे जो सभापति वित्त विभाग से परामर्श करके, समय-समय पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करेंगे।

नियम 23 - शिथिलकरण - सभापति किसी विशेष मामले में आवश्यक समझे जाने पर वित्त विभाग से परामर्श के पश्चात् आदेश से किसी नियम की अपेक्षाओं को उस हद तक और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन अभिमुक्ति प्रदान या शिथिल कर सकेंगे ।

नियम 24 - कारबार का संव्यवहार - सभापति इस नियमावली एवं इसके प्रयोजनार्थ अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के प्रशासन से पैदा होने वाली कठिनाईयों के मद्देनजर सुविधाजनक एवं कारगर कारबार के संव्यवहार के लिए समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपबंध कर सकेंगे ।

नियम 25 - निर्वचन - इस नियमावली के निर्वचनों से संबंधित सभी प्रश्न सभापति को निर्देशित किए जाएंगे, जिसपर उनका निर्णय अंतिम होगा ।

नियम 26 - अवशिष्ट शक्तियां - इस नियमावली के उपबंधों के अध्यक्षीन, सभी विषय जो विनिर्दिष्टतः उपबंधित न हों, इस नियमावली में चाहे इस नियमावली के उपबंधों के आनुषंगिक या प्रासांगिक या अन्यथा हों, सभापति द्वारा समय-समय पर दिए गए ऐसे आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे ।